

पनावली पेरा दुई। वकूलाथ फरीकेन उपस्थित।
वकील वादी/प्रतिवादी ने शा. वा.
हेतु पुन अवसर बाहा। अवसर दिया जाता है,
मिसल दिनांक 16/6/22 को पेरा हो

ए.सी.ई.एम. (फा.ट्रे.)
नवलगढ़

पनावली पेरा दुई। वकूलाथ फरीकेन उपस्थित।
वकील वादी/प्रतिवादी ने शा. वा.
हेतु पुन अवसर बाहा। अवसर दिया जाता है,
मिसल दिनांक 8/7/22 को पेरा हो

ए.सी.ई.एम. (फा.ट्रे.)
नवलगढ़

पनावली पेरा दुई। वकूलाथ फरीकेन उपस्थित।
वकील वादी/प्रतिवादी ने शा. वा.
हेतु पुन अवसर बाहा। अवसर दिया जाता है,
मिसल दिनांक 25/8/22 को पेरा हो

ए.सी.ई.एम. (फा.ट्रे.)
नवलगढ़

पनावली पेरा दुई। वकूलाथ फरीकेन उपस्थित।
वकील वादी/प्रतिवादी ने शा. वा.
हेतु पुन अवसर बाहा। अवसर दिया जाता है,
मिसल दिनांक 22/9/22 को पेरा हो

ए.सी.ई.एम. (फा.ट्रे.)
नवलगढ़

22 पनावली पेरा। कमीत पत्राचार उपर।
शा. वा. हेतु पुन अवसर बाहा। अवसर दिया जाता है,
मिसल दिनांक 31/10/2022 को पेरा हो।

ए.सी.ई.एम. (फा.ट्रे.)
नवलगढ़

31/10/22 पनावली पेरा दुई। वकील वादी एवं वादी स्वयं
को बाद-तार कंड-रुड उर-यायालय
समय से अमान लगाई गई। पर-तु इन्डीओर
से कोई उपस्थित नहीं। फलस्वरूप वाद वादी
अदम्य हाजरी व अदम्य पैरवी में खारिज
किया जाता है। पत्राचार केमत सुधार हो
हमि नम्बर से कम हो तथा काड तउभील
जाफत। एचिस दमतर हो निगीप शुले
न्यायालय में सुनाया गया।

ए.सी.ई.एम. (फा.ट्रे.)
नवलगढ़

